

प्रेषक,

निदेशक,
विकलांग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी
खीरी, मीरजापुर
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- 23089/वि0क0/यो0/2012-13 लखनऊ दिनांक , 21 नवम्बर, 2012.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जनजाति के नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण अनुदान हेतु प्रथम छः माह के लिये वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में नवीन अनुसूचित जनजाति के नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण अनुदान हेतु प्रथम छः माह के लिये कुल ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार आपके जनपद को आवंटित करते हुये निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के आधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है:-

1. उपर्युक्त धनराशि के व्यय हेतु शासन एवं निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत वित्तीय नियमों, आदेशों, निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा तथा जिस मद में व्यय/उपयोग किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग करने पर आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
2. आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/ड्राफ्ट में जमा नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1195/दस-16/1994, दिनांक- 06.06.1994 तथा शासनादेश सं0- बी-2337/दस-97, दिनांक- 21.11.1997 द्वारा निर्गत निर्देशों का भी कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. नवीन विकलांग पेंशन लाभार्थी से सी0बी0एस0 खाता प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत की जायेगी।
6. मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशक, विकलांग कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना तथा उसके सम्बन्ध में कलेन्डर के संकलित प्रारूप का उल्लेख मुख्य सचिव के अख्यशासकीय पत्र सं0- 3318/दस-22/98, दिनांक- 28.07.1998 में किया गया है।
7. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान सं0- 81 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-05-नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के का0ज्ञाप संख्या-बी-1-1515/दस-2012-231/2012, दिनांक- 09.07.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।
9. उपरोक्त आवंटन निदेशालय की अनुदान पंजिका के पृष्ठ सं0-11/3 पर अंकित है।

संलग्नक:-यथोक्त।


भवदीय,

(आर0 बी0 सिंह)
निदेशक,

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
- 3 सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4 सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त उप निदेशक, विकलांग कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6 वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1
- 7 नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1
- 8 गार्ड फाईल।



(नारेंद्र सिंह)


मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।

आदेश संख्या- ८३०० / वि०क० / यो० / आवंटन / 2012-13 दिनांक २ नवम्बर, 2012 का संलग्नक
वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत आयोजनागत-टी०एस०पी०पक्ष में आवंटन
(धनराशि हजार रू० में)

| क्रम सं० | जनपद का नाम | भौतिक लक्ष्य | आवंटन |
|----------|-------------|--------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | खीरी- | 45 | 81.00 |
| 2 | मिर्जापुर- | 10 | 19.00 |
| | कुल योग | 55 | 100.00 |

(रूपये एक लाख मात्र)




(नारेन्द्र सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी